झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 10 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम- रूपसागर, वार्ड नं0-04, जसीडीह, देवघर।

DISPOSED 18/02/22.

बनाम

प्रतिवादी DSO, देवघर।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
02/04/2022	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता **श्रीमती सावित्री देवी, पति–दिवाकर पंडित, ग्राम–रूपसागर, वार्ड नं0–04, थाना–जसीडीह, सबडिविजन, देवघर, दूरभाष सं0–6207227412** का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा राशन कार्ड नहीं बनने का उल्लेख करते हुए इसकी शिकायत आयोग के समक्ष दर्ज की गई है। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA / 037 / 2021 दिनांक–22.12.2021 द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, देवघर से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–18.02.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन V.C. के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। प्रतिलिपि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित किया जाय। 2/4/22 शिकायतकर्त्ता whatsapp Video call के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। उन्हे सूचित कर दिया जाए। 1/4/22	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.docx19

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18.02.22	**आज दिनांक–18.02.2022 को केस संख्या–10 / 2022 की सुनवाई की गई।** वादी के रूप में शिकायतकर्त्ता श्रीमती सावित्री देवी, पति दिवारकर पंडित, ग्राम–रूपसागर, वार्ड नं0–04, थाना–जसीडीह, सबडिविजन, देवघर ऑनलाइन व्हाटसएट्प विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री राजेश केरकेट्टा, पणन पदाधिकारी, देवघर उपस्थित हुए। पणन पदाधिकरी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए, जिसमें उन्होनें सूचित किया कि अपीलकर्त्ता का राशन कार्ड बन गया है, जिसकी छायाप्रति आयोग के व्हाटसएट्प से प्राप्त किया गया है। दिवाकर पंडित से ऑनलाइन व्हाटसएट्प विडियो कॉल के माध्यम से सम्पर्क किया गया जिस पर उन्होंने जिला द्वारा समर्पित रिपोर्ट कि पुष्टि की एवं कहा कि उनको राशन कार्ड निर्गत कर दिया गया है। उन्होनें कहां कि उनके शिकायत का समाधान हो गया है एवं शिकायत को बंद कर दिया जाय। अपीलकर्त्ता का पक्ष सुनने एवं पुष्टि के बाद इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। उभय पक्ष को इसकी सूचना दे दें। 18.2.22 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 18/2/2022 (हलधर महतो) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Rachna\Dropbox\rachana\Court Notice.docx6